



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 736

26 आश्विन, 1935 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 18 अक्टूबर, 2013

परिवहन विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2013

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011

संख्या-परि०वि०-145/2007-1083—झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के अध्याय (ii), (iii), (IV) एवं (V) के लिए विनिर्दिष्ट शुल्को में वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था जिसपर मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-212 के तहत अधिसूचना प्रारूप को झारखण्ड गजट में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना प्रारूप पर प्रकाशन अवधि में प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति/अभ्यावेदन आमंत्रित किया गया। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सुनवाई के पश्चात् आपत्तियों का निराकरण करते हुए मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 अधिसूचना संख्या-742 दिनांक 13 जुलाई, 2013 गजट संख्या-518 दिनांक 19 जुलाई, 2013 से अधिसूचित किया गया।

परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या-772 दिनांक 19 जुलाई, 2013 गजट संख्या-520 दिनांक 20 जुलाई, 2013 द्वारा इसे गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावीकृत किया गया।

परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या-845 दिनांक 6 अगस्त, 2013 गजट संख्या-561 दिनांक 7 अगस्त, 2013 द्वारा गजट में प्रकाशन की तिथि से इसे दिनांक 31 अगस्त, 2013 तक के लिए स्थगित किया गया।

मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2013 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 में अंकित प्रावधानों के अधीन मोटर वाहन के लिए विभिन्न कोटि के शुल्कों में तीन गुणा से अधिक प्रस्तावित वृद्धि को तीन गुणा तक सीमित रखा जाय।

उक्त आदेश के आलोक में झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं परिचय -**

- (i) यह नियमावली झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह झारखण्ड राज्य में गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा।

अनुलग्नक 'क'

2. **मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय-II के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 6 के अधीन देय शुल्क -**

(i)	झारखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली 2001 के नियम 4 के तहत प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति में स्वीकृति के लिये वर्तमान जाँच शुल्क 40.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 100.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली 2001 के नियम 4(2) के तहत चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जाँच के लिए शुल्क 100.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 300.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम-12 के तहत छाया चित्र का प्रतिस्थापन शुल्क 20.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 60.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 13 के तहत द्वितीय प्रति चालक अनुज्ञप्ति शुल्क 60.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 150.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(v)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 18 के तहत परिवहन वाहन का परिचालन हेतु प्राधिकरण शुल्क 40.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 100.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 20 के तहत अपील के लिये शुल्क 60.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत प्रत्येक दस्तावेज की प्रति के लिये शुल्क 50.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(viii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 21 के तहत चालक अनुज्ञप्ति की विवरणी की प्रत्येक प्रति हेतु शुल्क 20.00 रुपया (अधिभार सहित) के स्थान पर 50.00 रुपया प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ix)	मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु शुल्क 20.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 60.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय—III के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 26 के अन्तर्गत देय शुल्क —

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु जाँच शुल्क 40.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 100.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु शुल्क 60.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 31 के तहत बैज की स्वीकृति अथवा प्रतिस्थापन के लिये शुल्क 20.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 50.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 34 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति पर छाया चित्र प्रतिस्थापन का शुल्क 20.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 50.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

